करेंट अफेयर्स टुडे

अर्द्ध-वार्षिकी 2021

पिछले छः माह के करेंट अफेयर्स
पर बिंदुवार पुनरावलोकन

अब घर बैठे कीजिये
आई.ए.एस. की तैयारी
क्योंकि हम आ रहे हैं
आपके घर

दृष्टि The Vision

हिंदी साहित्य

द्वारा- डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

मोड : ऑनलाइन / पेन ड्राइव

IAS परीक्षा में सर्वाधिक अंकदायी वैकल्पिक विषय 'हिंदी साहित्य' पढ़िये सिविल सेवा जगत के सबसे लोकप्रिय शिक्षक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति से। इस कोर्स में शामिल हैं 157 रोचक कक्षाएँ, जिनमें IAS का संपूर्ण पाठ्यक्रम एकदम आधारभूत स्तर से शुरू करते हुए पढ़ाया गया है। इन कक्षाओं को गंभीरता से करने और क्लास नोट्स (जो आपके पास भेजे जाएंगे) को पढ़ने के बाद आपको कुछ भी अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इन कक्षाओं से परीक्षा की तैयारी तो होगी ही, साथ ही जीवन के प्रति सुलझा हुआ नज़रिया भी विकसित होगा।

यह कोर्स ऑनलाइन मोड (ऐप) के अलावा पेन ड्राइव मोड में भी उपलब्ध है। यदि आप इंटरनेट नेटवर्क की कमी या किसी अन्य कारण से यह कोर्स मोबाइल फोन की बजाय लैपटॉप/कंप्यूटर पर करना चाहते हैं तो कृपया ऐप के होम पेज पर जाकर पेनड्राइव कोर्स की टैब पर क्लिक करें।

एडमिशन प्रारंभ

कक्षाओं की गुणवत्ता को परखने के लिये डेमो वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल Drishti IAS की प्लेलिस्ट Online Courses में देखें	ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हर जानकारी के लिये हमारी वेबसाइट www.drishtiias.com या Drishti Learning App पर FAQs पेज देखें

इस कोर्स से संबंधित किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिये 9311406440-41 नंबर पर सीधे बात या मैसेज करें

हिंदी साहित्य : कोर्स की विशेषताएँ

1. UPSC के पाठ्यक्रम के लिए 400+ घंटे की कक्षाएँ।
2. UPPCS एवं BPSC के विशिष्ट टॉपिक्स के लिये 30-30 घंटे की पृथक कक्षाएँ।
3. प्रत्येक कक्षा को 3 बार देखने की सुविधा, ताकि आप टॉपिक को पढ़ने के बाद रिवीज़न भी कर सकें।
4. हर क्लास में उस टॉपिक से IAS, PCS में पूछे गए और अन्य संभावित प्रश्नों का विस्तृत अभ्यास।
5. स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कैमरा और साउंड क्वालिटी, जो क्लास के अनुभव को एकदम वास्तविक जैसा बनाती है।
6. पाठ्यक्रम की टेक्स्ट बुक्स व नोट्स भी इस कार्यक्रम में शामिल, जिनके अलावा किसी अन्य अध्ययन सामग्री की आवश्यकता नहीं।

अधिक जानकारी के लिये अपने एंड्रॉयड फोन पर आज ही इंस्टॉल करें

Drishti Learning App

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली) :
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
☎ 87501 87501

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज) :
ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
☎ 87501 87501

दृष्टि The Vision

अर्द्ध-वार्षिकी
2021

Drishti Publications
dp

दृष्टि पब्लिकेशन्स

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष: 87501 87501, 011-47532596
Website: www.drishtiias.com
E-mail :booksteam@groupdrishti.com

शीर्षक : अर्द्ध-वार्षिकी 2021

लेखक : टीम दृष्टि

संस्करण : अगस्त 2021

मूल्य : ₹ 120

प्रकाशक

VDK Publications Pvt. Ltd.

(दृष्टि पब्लिकेशन्स)

641, प्रथम तल,

डॉ. मुखर्जी नगर,

दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

✸ इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।

✸ हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

✸ सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।

✸ **© कॉपीराइट :** दृष्टि पब्लिकेशन्स (A Unit of VDK Publications Pvt. Ltd.), सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

✸ एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

दो शब्द

प्रिय पाठको,

आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ वर्षों से हम करेंट अफेयर्स पर आधारित 'वार्षिकी' का प्रकाशन करते आए हैं। इसमें हम विगत एक वर्ष के सभी परीक्षोपयोगी समसामयिक घटनाक्रम का संकलन प्रस्तुत करते हैं। इस पुस्तक की उपयोगिता को लेकर इतने सकारात्मक संदेश आए कि हमारा उत्साह भी बढ़ा और हम कुछ नए प्रयोगों को अपनाने के लिये भी आगे आ पाए। इसी कड़ी में अब हम आपके लिये लेकर आ रहे हैं 'अर्द्धवार्षिकी'। इसमें हमने विगत 6 महीने की तमाम महत्त्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया है। ऐसा करने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि आप पर करेंट अफेयर्स को तैयार करने का इकट्ठा भार न पड़े। आप आधे हिस्से को अभी तैयार कर लें और जब 'वार्षिकी' आए तो आपकी तैयारी भी पूरी हो जाए और एक हिस्सा अपने आप ही रिवाइज़ भी हो जाए। साथ ही इससे आपको मध्य में आने वाली अनेक परीक्षाओं में मदद भी मिल सके।

गौरतलब है कि आई.ए.एस., पी.सी.एस. सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में 'करेंट अफेयर्स' का महत्त्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस खंड की ठोस तैयारी के बिना किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की उम्मीद नहीं की जा सकती। वर्तमान में करेंट अफेयर्स से संबंधित ढेर सारी पुस्तकें बाज़ार में उपलब्ध हैं, किंतु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनमें से एक भी पुस्तक परीक्षा की बदलती प्रवृत्तियों के अनुरूप नहीं है। इन पुस्तकों में तथ्यात्मक अशुद्धियों के साथ-साथ गैर-परीक्षोपयोगी तथ्यों की भी भरमार है। अद्यतनता के अभाव एवं पुरानी घटनाओं के बार-बार दुहराव के कारण ये पुस्तकें अनुपयोगी तथ्यों का भंडारमात्र बन कर रह गई हैं जो विद्यार्थियों को तैयारी के दौरान दिग्भ्रमित कर देती हैं।

अभी आपके सामने प्रारंभिक परीक्षा की चुनौती है। क्योंकि आई.ए.एस. सहित कई राज्यों की पी.सी.एस. प्रारंभिक परीक्षाएँ होने वाली हैं। 'अर्द्धवार्षिकी' इन चुनौतियों से पार पाने में आपके लिये प्रकाश स्तंभ की भूमिका निभाएगी। हालाँकि यह पुस्तक मुख्यत: करेंट अफेयर्स की हमारी मासिक पत्रिका 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' के पिछले 6 महीने के अंकों के आधार पर संकलित है, फिर भी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, साइंस रिपोर्टर, योजना, कुरुक्षेत्र आदि पत्र-पत्रिकाओं सहित कुछ वेबसाइट्स आदि से भी परीक्षोपयोगी अन्य महत्त्वपूर्ण सामग्रियों को इस पुस्तक में संलग्न कर इसे नवीनता और समग्रता प्रदान की गई है। इससे निश्चय ही दृष्टि की मासिक पत्रिका के नियमित पाठकों को भी नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी। यद्यपि 6 माह के करेंट अफेयर्स के विशाल भंडार से परीक्षोपयोगी तथ्यों को मात्र 184 पृष्ठों में प्रस्तुत करना सागर से मोती चुनने जैसा कार्य था, तथापि हमारी अनुभवी और दक्ष टीम ने इस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया।

11 अध्यायों में विभाजित इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुरूप तैयार किया गया है। पुस्तक को त्रुटिहीन तथा अद्यतन बनाने के लिये इसका कई चरणों में सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। विद्यार्थियों को पढ़ते समय तथ्यों की दुरूहता की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिये उनका बिंदुवार प्रस्तुतीकरण किया गया है। विगत वर्षों के प्रश्नपत्रों के विश्लेषण से यह बात स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं पर प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति लगातार बनी हुई है, अत: हमने इसमें 'सरकारी योजनाएँ' नाम से भी एक अध्याय रखा है। इसमें नई योजनाओं के साथ-साथ पहले से चल रही योजनाओं को भी शामिल किया गया है। विविध और खेल घटनाक्रम को नए और रोचक अंदाज़ में प्रस्तुत किया गया है जिससे अभ्यर्थियों को तथ्यों को आत्मसात् करने में आसानी होगी।

हमें पूरा विश्वास है कि यह पुस्तक आपकी तैयारी एवं सफलता में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। आपसे निवेदन है कि आप इस पुस्तक को एक पाठक के साथ-साथ आलोचक की नज़र से भी पढ़ें। अगर आपको कोई भी इसमें कमी दिखे, तो आप बेझिझक अपने सुझाव हमें **'8130392355'** नंबर पर वाट्सएप मैसेज से भेज सकते हैं। आपकी टिप्पणियों और सुझावों के आधार पर ही हम पुस्तक को और बेहतर व प्रामाणिक बना सकेंगे।

साभार,
प्रधान संपादक
दृष्टि पब्लिकेशन्स

अनुक्रम

1. संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम 1-29
2. आर्थिक घटनाक्रम 30-63
3. अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 64-80
4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 81-98
5. भूगोल, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन 99-117
6. सुरक्षा 118-127
7. रिपोर्ट एवं सूचकांक 129-136
8. सरकारी योजनाएँ 137-147
9. कला एवं संस्कृति 148-160
10. खेल घटनाक्रम 161-166
11. विविध 167-178

1 संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम (Constitutional and Administrative Events)

संवैधानिक (127वाँ) संशोधन विधेयक, 2021

चर्चा में क्यों?

लोकसभा और राज्यसभा ने क्रमशः 10 अगस्त और 11 अगस्त, 2021 को 127वाँ संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया। यह विधयेक राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात संविधान (105वाँ) संशोधन अधिनियम, 2021 बन जाएगा। इसका उद्देश्य 5 मई, 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के मराठा आरक्षण पर दिये निर्णय का प्रभाव समाप्त करके राज्य की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल करना है।

प्रमुख बिंदु

- संविधान (102वें) संशोधन अधिनियम, 2018 ने संविधान में तीन नए अनुच्छेद अर्थात् अनुच्छेद 342क, अनुच्छेद 366 (26ग) और अनुच्छेद 338ख अंत:स्थापित किये गए थे।
- अनुच्छेद 338ख के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था जबकि अनुच्छेद 342क में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की सूची से संबंधित प्रावधान हैं।
- इसी तरह अनुच्छेद 366 (26ग) में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार के मराठा आरक्षण को निरस्त करते समय अपने निर्णय में संविधान (102वें) संशोधन अधिनियम, 2018 को वैध ठहराया था किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) की सिफारिशों के आधार पर ही यह निर्धारित होगा कि ओबीसी सूची में कौन से समुदायों को शामिल किया जाएगा। इस निर्णय से राज्य सरकारों की राज्य स्तर ओबीसी सूची बनाने की शक्ति चली गई। इस प्रकार इस संशोधन का उद्देश्य राज्य की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को पुनः बहाल करना है।
- सरकार का तर्क है कि संविधान (102वें) संशोधन अधिनियम, 2018 का आशय सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की सिर्फ केंद्रीय सूची से था। उल्लेखनीय है कि 1993 में एसईबीसी की केंद्रीय सूची की घोषणा से पूर्व भी कई राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की अन्य पिछड़े वर्गों की अपनी राज्य सूची/संघ राज्यक्षेत्र सूची है।
- विदित है कि पिछड़े वर्गों की राज्य सूची या संघ राज्यक्षेत्र सूची में सम्मिलित जातियाँ या समुदाय एसईबीसी की केंद्रीय सूची में सम्मिलित जातियों या समुदायों से भिन्न हो सकते थे। इस संशोधन के पश्चात पुनः यही स्थिति बहाल हो जायेगी।

मुख्य प्रावधान

- संविधान के अनुच्छेद 342क के खंड (1) में, "सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिये," शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सूची में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें केंद्रीय सरकार के प्रयोजनों के लिये," शब्द रखे जाएंगे। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति की एसईबीसी की सूची से संबंधित शक्ति का संबंध केंद्रीय सूची से है और राज्य की पृथक एसईबीसी सूची हो सकती है।
- इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338ख के खंड (9) में एक परंतुक अंत:स्थापित किया जायेगा कि इस खंड की कोई बात अनुच्छेद 342क के खंड (3) के प्रयोजनों के लिये लागू नहीं होगी।
- अनुच्छेद 342क में (3) खंड जोड़ा जायेगा जिसमें प्रावधान किया जाएगा कि अनुच्छेद 342क (1) और खंड (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिये सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की एक सूची तैयार कर सकेगा और रख सकेगा, जिसमें प्रविष्टियाँ केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकेंगी।
- संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (26ग) के स्थान पर नया खंड रखा जाएगा, जिसमें "सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों" से ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं, जिन्हें, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के प्रयोजनों के लिये अनुच्छेद 342क के अधीन ऐसा समझा गया है। इसके तहत एसईबीसी की परिभाषा को केंद्र और राज्य सरकारों के संदर्भ अधिक स्पष्ट बनाया गया है।

'संघ' या 'केंद्र' सरकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपने आधिकारिक पत्राचार या संचार में 'केंद्र सरकार' (Central Government) शब्द के उपयोग को बंद करने एवं इसके स्थान पर 'संघ सरकार' (Union Government) शब्द का उपयोग करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- सामान्य तौर पर भारत में आम बोलचाल की भाषा में 'संघ सरकार' और 'केंद्र सरकार' शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है।
- हालाँकि संविधान सभा के मूल संविधान के 22 भागों में 395 अनुच्छेदों और आठ अनुसूचियों में 'केंद्र' या 'केंद्र सरकार' शब्द का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया है।

2 आर्थिक घटनाक्रम (Economic Events)

पूर्वव्यापी कराधान को दूर करना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संसद ने कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया है। यह भारतीय संपत्ति के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर कर लगाने हेतु 2012 के पूर्वव्यापी कानून का उपयोग करके की गई कर की मांगों को वापस लेने का प्रयास करता है।

प्रमुख बिंदु

- यूएस-आधारित वोडाफोन के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद वर्ष 2012 में पूर्वव्यापी कर कानून पारित किया गया था।
  - वोडाफोन समूह की डच शाखा ने वर्ष 2007 में एक केमैन (Cayman) आइलैंड्स-आधारित कंपनी खरीदी, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय फर्म हचिसन एस्सार लिमिटेड (Hutchison Essar Ltd) में बहुमत हिस्सेदारी रखी, बाद में इसका नाम बदलकर वोडाफोन इंडिया (11 बिलियन डॉलर में) कर दिया गया।
- इसे वित्त अधिनियम में संशोधन के बाद पेश किया गया था, जिसने कर विभाग को सौदों के लिये पूर्वव्यापी पूंजीगत लाभ कर लगाने में सक्षम बनाया, 1962 के पश्चात् से इसमें भारत में स्थित विदेशी संस्थाओं में शेयरों का हस्तांतरण भी शामिल है।
- जबकि संशोधन का उद्देश्य वोडाफोन को दंडित करना था, कई अन्य कंपनियाँ एक-दूसरे के अंतर्विरोध (Crossfire) में फँस गई और वर्षों से भारत के लिये कई समस्याएँ उत्पन्न कर रही है।
  - यह आयकर कानून में सर्वाधिक विवादास्पद संशोधनों में से एक है।
- पिछले वर्ष भारत ने हेग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण में केयर्न एनर्जी पीएलसी और केयर्न यूके होल्डिंग्स लिमिटेड (Cairn Energy Plc and Cairn UK holdings Ltd) पर कंपनी द्वारा प्राप्त किये गए कथित पूंजीगत लाभ पर कर लगाने के खिलाफ एक मामले को तब खारिज कर दिया था, जब वर्ष 2006 में उसने स्थानीय इकाई को सूचीबद्ध करने से पहले देश में अपने व्यवसाय को पुनर्गठित किया था।

अधिनियम के अंतर्गत परिवर्तन

- आयकर अधिनियम और वित्त अधिनियम, 2012 में संशोधन प्रभावी रूप से यह दर्शाता है कि यदि लेन-देन 28 मई, 2012 से पहले किया गया था तो भारतीय संपत्ति के किसी भी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिये कोई कर मांग नहीं की जाएगी।
- मई 2012 से पूर्व भारतीय संपत्तियों के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिये लगाया गया कर 'निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति पर शून्य' होगा, जैसे- लंबित मुकदमे की वापसी तथा एक उपक्रम के कोई नुकसान का दावा दायर नहीं किया जाएगा।
- यह इन मामलों में फँसे कंपनियों द्वारा भुगतान की गई राशि को बिना ब्याज के वापस करने का भी प्रस्ताव करता है।

अधिनियम का महत्त्व

- यह अधिनियम बेहतर कर स्पष्टता के लिये पूर्वव्यापी कर को हटाने की मांग करने वाले विदेशी निवेशकों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है।
- यह एक निवेश-अनुकूलित व्यावसायिक वातावरण स्थापित करने में मदद करेगा, जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकता है तथा सरकार के लिये समय के साथ अधिक राजस्व संग्रहण करने में मदद करेगा।
- यह भारत की प्रतिष्ठा को बहाल करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने में मदद कर सकता है।

पूर्वव्यापी कराधान

- यह किसी भी देश को कुछ उत्पादों, वस्तुओं या सेवाओं पर कर लगाने को लेकर एक नियम पारित करने की अनुमति देता है। यह किसी भी कानून के पारित होने की तारीख की पूर्व अवधि से कंपनियों से शुल्क लेता है।
- वे देश अपनी कराधान नीतियों में किसी भी विसंगति को ठीक करने के लिये इस मार्ग का उपयोग करते हैं, जिन्होंने अतीत में कंपनियों को इस तरह की खामियों का फायदा उठाने की अनुमति दी थी।
- पूर्वव्यापी कराधान उन कंपनियों को आहत करता है जिन्होंने जान-बूझकर या अनजाने में कर नियमों की अलग-अलग व्याख्या की थी।
- भारत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड और बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया एवं इटली सहित कई देशों में पूर्वव्यापी कराधान वाली कंपनियाँ हैं।

पूंजी लाभ

- यह वृद्धि या लाभ 'आय' की श्रेणी में आता है।
- इसलिये उस वर्ष में उस राशि के लिये पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करना आवश्यक होगा जिसमें पूंजीगत संपत्ति का हस्तांतरण होता है। इसे पूंजीगत लाभ कर कहा जाता है, जो अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो सकता है।

3 अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम (International Events)

भारत-बांग्लादेश वाणिज्यिक रेलवे लिंक की बहाली

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी–चिलाहाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया गया, जो दोनों देशों के बीच रेलवे संपर्क और द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करेगा।

- हल्दीबाड़ी-चिलाहाटी रेल लिंक एक ऐसा मार्ग है जो वर्ष 1965 तक संचालन में था।
- वर्ष 2021 के समाप्ति तक अगरतला-अखौरा के बीच एक और रेल लिंक का संचालन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि

- 1947 में विभाजन के बाद 1965 तक भारत और बांग्लादेश (तब पूर्वी पाकिस्तान) के मध्य सात रेलवे लिंक संचालित थे।
- वर्तमान में बांग्लादेश और भारत के बीच पाँच रेलवे लिंक संचालित हैं। ये हैं–पेट्रापोल (भारत)–बेनापोल (बांग्लादेश), गेदे (भारत)–दर्शन (बांग्लादेश), सिंहाबाद (भारत)–रोहनपुर (बांग्लादेश), राधिकापुर (भारत)–बिरोल (बांग्लादेश), हल्दीबाड़ी (भारत) –चिलाहाटी (बांग्लादेश)।
- 75 किलोमीटर लंबा ट्रैक देश के बाकी हिस्सों को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ बेहतर ढंग से एकीकृत करने में मदद करेगा, जिसे 'चिकन नेक' (Chicken's Neck) भी कहा जाता है।
  - यह कोरिडोर भारत को उत्तर-पूर्वी राज्यों से जोड़ता है, जहाँ हाल ही में चीन के एक अन्य पड़ोसी देश के साथ संघर्ष देखा गया।

भारत-बांग्लादेश संबंध

ऐतिहासिक संबंध

50 वर्ष पूर्व वर्ष 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध ने भारत की जीत का समर्थन किया था क्योंकि एक नए राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के गठन का भारत द्वारा नेतृत्व किया गया था।

रक्षा सहयोग

- संयुक्त अभ्यास
  - टेबल टॉप (वायु सेना)
  - सम्प्रीति (थल सेना)
  - इन-बीएन कॉर्पोरेट (वायु सेना)
  - बोंगोसागर (नौसेना)
  - संवेदना-बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ बहुराष्ट्रीय मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभ्यास।
- सीमा प्रबंधन: भारत और बांग्लादेश कुल 4096.7 किमी. लंबी सीमा साझा करते हैं, यह सबसे लंबी भूमि सीमा है जिसे भारत अपने किसी पड़ोसी के साथ साझा करता है।

आर्थिक संबंध

- बांग्लादेश उपमहाद्वीप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। वर्ष 2019-20 में दोनों देशों के मध्य कुल द्विपक्षीय व्यापार 9.5 बिलियन डॉलर का रहा है, जो वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में 10 बिलियन डॉलर से अधिक रहा।
- भारत द्वारा बांग्लादेश को होने वाला कुल निर्यात द्विपक्षीय व्यापार का 85% से अधिक है।
- दिसंबर 2020 में द्विपक्षीय व्यापार सहयोग को और बढ़ावा देने के लिये भारत-बांग्लादेश सीईओ फोरम (India-Bangladesh CEO's Forum) को शुरू किया गया।
- बांग्लादेश ने वर्ष 2011 से दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) के तहत भारत द्वारा बांग्लादेशी निर्यात को दिये गए शुल्क-मुक्त और कोटा मुक्त पहुँच की सराहना की है।

कनेक्टिविटी में सहयोग

- मार्च 2021 में मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया, 1.9 किलोमीटर लंबा यह पुल सबरूम (त्रिपुरा में) को रामगढ़ (बांग्लादेश में) के साथ जोड़ता है।
- अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार प्रोटोकॉल (PIWTT)।
- बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौते को अमल में लाया जाना है।

अन्य विकास

- लाइन ऑफ क्रेडिट
  - भारत ने सड़क, रेलवे, शिपिंग और बंदरगाहों सहित विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास हेतु पिछले 8 वर्षों में बांग्लादेश को 3 लाइन ऑफ क्रेडिट्स (LOCs) प्रदान किये हैं, जिसकी राशि 8 बिलियन डॉलर है।

संबंधों की पुनर्बहाली का कारण

'एकजुटता और स्थिरता' समझौता

- हाल ही में खाड़ी देशों ने सऊदी अरब के अल उला (Al Ula) में आयोजित 41वें **खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)** शिखर सम्मेलन में **'एकजुटता और स्थिरता'** समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
  - बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के सदस्य देश हैं।
- इस शिखर सम्मेलन में खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्यों ने कतर पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया और कतर के लिये अपनी भूमि, समुद्री और हवाई सीमा को पुनः खोल दिया।
- दोनों देशों के संबंधों की पुनर्बहाली के कुछ अन्य कारण 'ईरान के खिलाफ एकजुटता', 'कतर की बढ़ती शक्ति', 'कतर को अमेरिकी समर्थन' इत्यादि भी हैं।

भारत के लिये महत्त्व

- मिस्र के साथ-साथ कतर तथा GCC समूह के सभी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। मध्य-पूर्व के देशों के बीच इस तरह की सुलह और मैत्री भारत के लिये अवसरों का विस्तार कर सकती है।
- खाड़ी क्षेत्र भारतीय वस्तुओं के लिये सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है और यह क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था के लिये हाइड्रोकार्बन का सबसे महत्त्वपूर्ण आपूर्तिकर्त्ता भी है। गैस और तेल भंडार से समृद्ध इन देशों के मध्य शांतिपूर्ण आपसी संबंध भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिये आवश्यक हैं।
- खाड़ी देशों में कई लाख प्रवासी भारतीय रहते हैं जो **भारत को प्रेषित धन (Remittances)** के प्रमुख स्रोत हैं।
- खाड़ी देशों और मिस्र के साथ बेहतर संबंध भारत को खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति, रक्षा और सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार तथा निवेश के अवसर प्रदान कर सकते हैं।

IEA के साथ समझौता

चर्चा में क्यों?

भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मज़बूत करने के लिये **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency-IEA)** के साथ एक **'रणनीतिक साझेदारी समझौता'** किया है।

प्रमुख बिंदु

उद्देश्यः ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करना।

लाभ

- इस समझौते के तहत ज्ञान का व्यापक स्तर पर आदान-प्रदान किया जाएगा जो भारत को IEA का पूर्ण सदस्य बनाने की दिशा में सहयोगी कदम साबित होगा।
- इससे आपसी विश्वास और सहयोग मज़बूत होगा तथा वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित होगी।
- IEA एक रणनीतिक भागीदार के रूप में भारत के लिये लाभ और ज़िम्मेदारियों में चरणबद्ध तरीके से वृद्धि करेगा।
- मौजूदा ऊर्जा क्षेत्रों में सुधार और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण कार्यक्रमों का निर्माण होगा, जैसे- ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ और स्थायी ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, पेट्रोलियम भंडारण क्षमता का विस्तार और भारत में गैस-आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार आदि।
- इस समझौते का क्रियान्वयन **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सचिवालय द्वारा** किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी

- **स्थापनाः** IEA एक स्वायत्त **अंतर-सरकारी संगठन** है। इसकी स्थापना (वर्ष 1974 में) वर्ष 1973 के तेल संकट के बाद हुई थी।
- **जनादेशः** समय के साथ IEA के जनादेश को प्रमुख वैश्विक ऊर्जा रुझानों पर नज़र रखने और उनका विश्लेषण करने, दुरुस्त ऊर्जा नीति को बढ़ावा देने तथा बहुराष्ट्रीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिये विस्तारित किया गया है।
- **लक्ष्यः** इसका लक्ष्य सदस्य देशों के लिये विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करना है।
- **कार्यक्षेत्रः** इसका लक्ष्य चार मुख्य क्षेत्रों द्वारा निर्देशित है-
  - ऊर्जा सुरक्षा
  - आर्थिक विकास
  - पर्यावरणीय जागरूकता
  - विश्व को सहयोगी के तौर पर शामिल करना
- **मुख्यालय (सचिवालय):** पेरिस (फ्राँस)।
- शासी बोर्ड IEA का मुख्य निर्णय लेने वाला निकाय है।
  - यह प्रत्येक सदस्य देश के ऊर्जा मंत्रियों या उनके वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मिलकर बना है।

4 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

म्युकरमाइकोसिस

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने राज्यों को 'ब्लैक फंगस' या 'म्युकरमाइकोसिस' को महामारी घोषित करने का आदेश दिया है, हालाँकि इसी बीच 'व्हाइट फंगस' या 'कैंडिडिआसिस' नामक संक्रमण से संबंधित कुछ मामले भी दर्ज किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- कोविड-19 रोगियों में 'व्हाइट फंगस' होने का खतरा अधिक होता है, क्योंकि यह फेफड़ों को प्रभावित करता है और इसी तरह के लक्षण कोविड-19 के दौरान भी देखे जाते हैं।
- 'ब्लैक फंगस' एक गंभीर लेकिन दुर्लभ कवक संक्रमण है, जो 'म्युकरमायसिटिस' नामक फफूँद (Molds) के कारण होता है, जो पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में मौजूद है।
- कोविड-19 के कारण रोगी की प्रतिरक्षा शक्ति कमज़ोर हो जाती है जो उन्हें फंगल संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है।

म्युकरमाइकोसिस के बारे में

- म्युकरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस या जाइगोमाइकोसिस (Zygomycosis) के नाम से भी जाना जाता है और यह एक गंभीर लेकिन दुर्लभ फंगल संक्रमण है जो म्युकरमायसिटिस (Mucormycetes) नामक फफूँद (Molds) के कारण होता है। म्युकरमाइकोसिस के लिये उत्तरदायी सबसे सामान्य प्रजाति राइजोपस (Rhizopus) प्रजाति और म्यूकर (Mucor) हैं।
- ये हवा की तुलना में मिट्टी में तथा शीत व बसंत ऋतु की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक प्रचुरता से पाए जाते हैं और उस समय अधिक प्रभावी होते हैं।
- प्रायः ये कवक लोगों के लिये हानिकारक नहीं होते हैं लेकिन जिन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है उन्हें कवकीय बीजाणुओं की उपस्थिति में साँस लेने से संक्रमण का जोखिम होता है।

म्युकरमाइकोसिस के प्रकार

- राइनोसेरेब्रल (साइनस और मस्तिष्क) म्युकरमाइकोसिस: यह साइनस (Sinus) में होने वाला एक संक्रमण है जो मस्तिष्क तक फैल सकता है। अनियंत्रित मधुमेह से ग्रसित और किडनी प्रत्यारोपण कराने वाले लोगों में इसके होने की संभावना अधिक होती है।
- **पल्मोनरी (फेफड़ों संबंधी) म्युकरमाइकोसिसः** यह कैंसर से पीड़ित लोगों तथा अंग प्रत्यारोपण अथवा स्टेम सेल प्रत्यारोपण कराने वाले लोगों में होने वाले म्युकरमाइकोसिस संक्रमण का सबसे सामान्य प्रकार है।
- **गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल (पाचनतंत्र संबंधी) म्युकरमाइकोसिसः** यह वयस्कों की तुलना में छोटे बच्चों (विशेष रूप से 1 माह से कम आयु के अपरिपक्व तथा जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं) में अधिक होता है। यह ऐसे वयस्कों में भी हो सकता है जिन्होंने एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन किया हो अथवा सर्जरी करवाई हो या ऐसी दवाओं का सेवन किया हो जो कीटाणुओं और बीमारी से लड़ने के लिये शरीर की क्षमता को कम कर देती हैं।
- **क्यूटेनियस (त्वचा संबंधी) म्युकरमाइकोसिसः** कवक त्वचा में किसी विच्छेद (सर्जरी या जलने के बाद या अन्य प्रकार के त्वचा संबंधी आघात के कारण होने वाले) के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। यह उन लोगों जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर नहीं है, में भी पाया जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार है।
- **डिसेमिनेटेड (प्रसारित) म्युकरमाइकोसिसः** इस प्रकार का संक्रमण रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रसारित होता है। यद्यपि यह संक्रमण सबसे अधिक मस्तिष्क को प्रभावित करता है लेकिन प्लीहा, हृदय और त्वचा जैसे अन्य भाग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं।

व्हाइट फंगस

- 'व्हाइट फंगस' या 'कैंडिडिआसिस' एक कवक संक्रमण है, जो 'कैंडिडा' नामक खमीर (एक प्रकार का कवक) के कारण होता है।
- 'कैंडिडा' आमतौर पर त्वचा और शरीर के आंतरिक हिस्सों जैसे- मुँह, गला, आँत और योनि जैसी जगहों पर मौजूद रहता है।
- हालाँकि यदि यह नियंत्रण से बाहर हो जाता है या शरीर में और अधिक आंतरिक हिस्सों में पहुँच जाता है तो कैंडिडा गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है।
- संक्रमण का कारण बनने वाले सबसे सामान्य प्रजाति में शामिल है- कैंडिडा एल्बिकान।

संचरण (Transmission)

- इसका संचरण श्वास, संरोपण (Inoculation) या पर्यावरण में मौजूद बीजाणुओं के अंतर्ग्रहण द्वारा होता है।
- उदाहरण के लिये बीजाणु श्वास के ज़रिये हवा से शरीर में प्रवेश कर फेफड़ों या साइनस को संक्रमित कर सकते हैं।

5 भूगोल, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन (Geography, Environment and Disaster Management)

मुल्लापेरियार बांध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 'मुल्लापेरियार बांध पर्यवेक्षक समिति' को बांध की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर निर्देश जारी करने का आदेश दिया है।

पृष्ठभूमि

- केरल के इडुक्की ज़िले के कुछ निवासियों ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिसमें मुल्लापेरियार बांध के जल स्तर को कम करते हुए 130 फीट तक करने की मांग की थी।
- याचिकाकर्त्ताओं के अनुसार, केरल की तरफ मानसून के बढ़ने के साथ ही राज्य के इस क्षेत्र में भूकंप (Earthquake) और बाढ़ (Flood) का खतरा भी बढ़ जाएगा।
- याचिकाकर्त्ताओं ने बांध के सुरक्षा निरीक्षण और सर्वेक्षण के मामले में पर्यवेक्षी समिति द्वारा 'सुस्त' रवैया अपनाने का आरोप लगाया।
- याचिकाकर्त्ताओं के अनुसार, पर्यवेक्षी समिति द्वारा अपने उत्तरदायित्वों को स्थानीय अधिकारियों की एक उप-समिति को सौंप दिया गया और साथ ही पिछले छह वर्षों से इंस्ट्रूमेंटेशन स्कीम (Instrumentation Scheme), सुरक्षा तंत्र आदि को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

हालिया विवाद

- तमिलनाडु ने बांध के वक्र नियम (Rule Curve) को अंतिम रूप देने में देरी के लिये केरल को दोषी ठहराया।

वक्र नियम

- वक्र नियम एक बांध में जल के भंडारण स्तर में कमी या वृद्धि की सीमा को तय करता है। बांध का गेट खोलने की समय सारणी वक्र नियम पर आधारित होती है।
- यह एक बांध के 'मुख्य सुरक्षा' तंत्र का हिस्सा है।
- बाढ़ जैसी परिस्थितियों में बांध के गेट को आकस्मिक रूप से खोलने की स्थिति से बचने के लिये वक्र नियम स्तर निर्धारित किया जाता है। यह मानसून के दौरान बांध में जल स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है।

- तमिलनाडु के पक्षकारों के अनुसार, वे उन इलाकों का डेटा प्राप्त करने में असफल रहे हैं जो केरल की सीमा में आते हैं, साथ ही इन क्षेत्रों में न तो कोई सड़क बनी है और न ही बिजली की आपूर्ति बहाल हुई है, जबकि तमिलनाडु ने इसके लिये भुगतान किया है।
- वहीं केरल ने तमिलनाडु पर वर्ष 1939 के 'अप्रचलित' व पुराने 'गेट ऑपरेशन शेड्यूल' (Gate Operation Schedule) को अपनाने का आरोप लगाया है।

मुल्लापेरियार बांध

- लगभग 125 वर्ष पुराना मुल्लापेरियार बांध केरल के इडुक्की ज़िले में मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर अवस्थित है।
- इस बांध की लंबाई 365.85 मीटर और ऊँचाई 53.66 मीटर है।
- इस बांध का उद्देश्य पश्चिम की ओर बहने वाली पेरियार नदी (Periyar River) के जल को पूर्व में वैगई नदी (तमिलनाडु) की ओर मोड़ना था जिससे तमिलनाडु के वृष्टिछाया क्षेत्रों को जल उपलब्ध कराया जा सके।
- यह बांध तमिलनाडु राज्य के पाँच दक्षिणी ज़िलों (मदुरई, थेनी, डिंडीगुल, शिवगंगा और रामनाथपुरम) के लिये पीने के पानी और सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- वर्ष 1886 में हुए 'पेरियार लेक लीज़ एग्रीमेंट' (Periyar Lake Lease Agreement) के तहत इस बांध के परिचालन के अधिकार को 999 वर्षों के लिये तमिलनाडु को सौंप दिया गया था।

भारत में बांधों की स्थिति

- वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक बड़े बांधों की संख्या के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान है।
- देश के कुल बड़े बांधों में से लगभग 80 प्रतिशत 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं जबकि लगभग 209 बड़े बांधों का निर्माण 100 वर्ष से पहले किया गया था, जब निर्माण व सुरक्षा के मापदंड वर्तमान की तुलना में कहीं अधिक कमज़ोर थे।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट **'एजिंग वॉटर इन्फ्रास्ट्रक्चरः एन इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क'** (Ageing WaterInfrastructure : An Emerging Global Risk) के अनुसार, वर्ष 2025 तक भारत के 1,115 बड़े बांध लगभग 50 वर्ष से अधिक पुराने जबकि वर्ष 2050 तक लगभग 4,250 बड़े बांध 50 वर्ष और 64 बड़े बांध 150 से अधिक पुराने हो जाएंगे।

चक्रवात ताउते

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अरब सागर में विकसित हुए 'चक्रवात ताउते' (Cyclone Tauktae) ने गुजरात और महाराष्ट्र सहित अन्य तटीय राज्यों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

6 सुरक्षा (Security)

आईएनएस विक्रांत का समुद्री परीक्षण

चर्चा में क्यों?

अगस्त, 2021 में 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत निर्मित स्वदेशी विमान वाहक आईएनएस विक्रांत (IAC-1) ने अपना प्रथम समुद्री परीक्षण (परीक्षणों के अंतिम चरणों में से एक) पूरा किया।

प्रमुख बिंदु

- आईएनएस विक्रांत का निर्माण पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड 'कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि' द्वारा किया गया है तथा इसे भारतीय नौसेना के नौसेना डिज़ाइन निदेशालय (डीएनडी) द्वारा डिज़ाइन किया गया है।
- आईएनएस विक्रांत को 'आज़ादी के अमृत महोत्सव' के उपलक्ष्य में वर्ष 2022 में कमीशन किये जाने की संभावना है। वर्तमान में भारत के पास केवल एक विमान वाहक पोत है- रूसी मूल का आईएनएस विक्रमादित्य।
- इससे पहले रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने 'प्रोजेक्ट-75I' के तहत भारतीय नौसेना के लिये छः उन्नत पनडुब्बियों के प्रस्ताव हेतु अनुरोध (RFP) जारी करने को मंजूरी दी थी।
- इसमें 30 विमानों का एक वायु घटक होगा, जिसमें स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकाप्टरों के अलावा मिग-29K लड़ाकू जेट, कामोव-31 हवाई पूर्व चेतावनी हेलीकॉप्टर और जल्द ही शामिल होने वाले MH-60R बहु-भूमिका हेलीकॉप्टर होंगे।
- इसकी 30 समुद्री मील (लगभग 55 किमी. प्रति घंटे) की शीर्ष गति होने की उम्मीद है और यह चार गैस टर्बाइनों द्वारा संचालित है। इसकी सहनशक्ति 18 समुद्री मील (32 किमी. प्रति घंटे) की गति से 7,500 समुद्री मील है।
- शिपबोर्न हथियारों में बराक LR SAM और AK-630 शामिल हैं, जबकि इसमें सेंसर के रूप में MFSTAR और RAN-40L 3D रडार हैं। पोत में एक 'पावर ईडब्ल्यू (इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर) सूट' भी है।
- इसमें विमान संचालन को नियंत्रित करने के लिये रनवे की एक जोड़ी और 'शॉर्ट टेक ऑफ अरेस्ट रिकवरी' सिस्टम है।
- यह लंबी दूरी के साथ वायु सेना की शक्ति को प्रक्षेपित करने के साथ एक अतुलनीय सैन्य उपकरण के रुप में भी कार्य करेगा। जिसमें हवाई अवरोध, सतही युद्ध, आक्रामक और रक्षात्मक काउंटर-एयर, हवाई पनडुब्बी रोधी युद्ध तथा हवाई हमले के पूर्व चेतावनी शामिल हैं।
- आईएनएस विशाल भारत में निर्मित होने वाला दूसरा स्वदेशी विमान वाहक (IAC-2) होगा।

नोटः

- **ऑपरेशन समुद्र सेतु-I:** कोरोना वायरस के मद्देनज़र लागू किये गए यात्रा प्रतिबंधों के बीच विदेश में फँसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिये निकासी अभियान है।
- **ऑपरेशन समुद्र सेतु-II:** भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिये 'ऑपरेशन समुद्र सेतु-II' की शुरुआत की थी।

लड़ाकू विमान : राफेल

चर्चा में क्यों?

21 जुलाई, 2021 को भारतीय वायुसेना (IAF) ने 3 राफेल लड़ाकू विमानों की सातवीं खेप प्राप्त की। इससे पहले हरियाणा स्थित अंबाला एयर बेस पर लड़ाकू विमानों का पहला बैच (5 विमान) प्राप्त किया गया था। अब तक 36 में से 24 विमान भारत को प्राप्त हो चुके हैं।

प्रमुख बिंदु

- इन नए राफेल लड़ाकू विमानों के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से उसकी युद्धक क्षमता में अतुलनीय बढ़ोतरी होगी।
- हाल में भारत पहुँचे राफेल विमानों को पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन पर अवस्थित स्कवाड्रन में शामिल किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह दूरी राफेल स्क्वाड्रन होगी, जबकि एक स्क्वाड्रन अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर पहले से ही मौजूद है।
- 90 के दशक के अंत में रूस से सुखोई-30 (Sukhoi-30) के बाद से भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला यह पहला आयातित लड़ाकू विमान है।

फ्राँस के साथ अंतर-सरकारी समझौता

- भारत सरकार ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिये फ्राँस के साथ सितंबर 2016 में एक अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।
- ज्ञात हो कि सभी 36 राफेल लड़ाकू विमान अनुमानतः वर्ष 2021 के अंत तक भारत पहुँच जाएंगे। इसके साथ ही समझौते में यह भी तय किया गया था कि राफेल निर्माता दासौ एविएशन (Dassault Aviation) कंपनी भारतीय वायुसेना के पायलटों और सहायक कर्मियों

दृष्टि The Vision

अब दृष्टि लर्निंग ऐप पर लाइव क्लासेज़ शुरू

टीम दृष्टि की नई प्रस्तुति

क्लासरूम शिक्षण जैसी ही ऑनलाइन पढ़ाई

IAS फाउंडेशन लाइव बैच

सामान्य अध्ययन (प्रिलिम्स + मेन्स)

लाइव क्लासेज़

दृष्टि लर्निंग ऐप द्वारा

एडमिशन प्रारंभ | प्रतिदिन एक क्लास

बैच प्रारंभ
24 अगस्त
सुबह 11:30 बजे

शुल्क : ~~₹100000~~ ₹90000

सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों की 500+ लाइव कक्षाओं के साथ ये सुविधाएँ एकदम निशुल्क

3 वर्षों तक प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज़ ~~₹24000/-~~ निशुल्क	3 वर्षों तक प्रिलिम्स क्रैश कोर्स ~~₹15000/-~~ निशुल्क	सभी टॉपिक्स के प्रिंटेड नोट्स ~~₹15000/- (DLP)~~ निशुल्क
मुख्य परीक्षा के 24 टेस्ट ~~₹10000/-~~ निशुल्क	3 वर्षों तक करेंट अफेयर्स टुडे ~~₹4320/-~~ निशुल्क	प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ (6 बुक्स) ~~₹1815/-~~ निशुल्क
	मेन्स कैप्सूल सीरीज़ (5 बुक्स) ~~₹1240/-~~ निशुल्क	

छूट की कुल राशि : ₹71,375/-

ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स

सामान्य अध्ययन (प्रिलिम्स + मेन्स)

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति के मार्गदर्शन में

मोड : पेन ड्राइव

एडमिशन प्रारंभ

अब घर बैठे कीजिये आई.ए.एस. की संपूर्ण तैयारी क्योंकि हम आ रहे हैं आपके घर

अतिरिक्त जानकारी के लिये 9311406442 नंबर पर कॉल करें या GS लिखकर मैसेज या वाट्सएप करें | इंस्टॉलमेंट्स पर भी उपलब्ध ! लॉग-इन कीजिये : www.drishtiIAS.com | अपने एंड्रॉयड फोन पर इंस्टॉल करें Drishti Learning App

7 रिपोर्ट एवं सूचकांक (Reports and Indices)

इंडिया इनइक्वेलिटी रिपोर्ट 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ऑक्सफैम इंडिया ने 'इंडिया इनइक्वेलिटी रिपोर्ट 2021: इंडियाज अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी' (India Inequality Report 2021: India's Unequal Healthcare Story) शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

प्रमुख बिंदु

- यह रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य असमानता के स्तर को मापने के लिये विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों में स्वास्थ्य परिणामों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है।
- इसके निष्कर्ष मुख्य रूप से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey) के तीसरे और चौथे दौर के माध्यमिक विश्लेषण तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (National Sample Survey) के विभिन्न विश्लेषणों पर आधारित हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ व्याप्त हैं और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage) की अनुपस्थिति के कारण हाशिये पर रहने वाले समुदायों के स्वास्थ्य परिणामों पर ये असमानताएँ प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, जो राज्य मौजूदा असमानताओं को कम करने का प्रयास कर रहे हैं और स्वास्थ्य पर अधिक खर्च कर रहे हैं, उन राज्यों में कोविड-19 के कम मामले दर्ज किये गए।

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- **विभिन्न समूहों का प्रदर्शन:** सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तुलना में; हिंदू, मुसलमानों से; अमीर का प्रदर्शन गरीबों की तुलना में; पुरुष, महिलाओं की तुलना में तथा शहरी आबादी, ग्रामीण आबादी की तुलना में विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों पर बेहतर है।
  - कोविड-19 महामारी ने इन असमानताओं को और बढ़ा दिया है।
- **राज्यों का प्रदर्शन:** जो राज्य (तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान) पिछले कुछ वर्षों से सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच जैसी असमानताओं को कम कर रहे हैं, उनमें कोविड के कम मामले देखे गए।
  - दूसरी ओर जिन राज्यों (असम, बिहार और गोवा) में स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का खर्च अधिक है, उनमें कोविड मामलों की रिकवरी दर अधिक है।
  - केरल ने बहुस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के लिये बुनियादी ढाँचे में निवेश किया है, जिसे सामुदायिक स्तर पर बुनियादी सेवाओं हेतु प्रथम संपर्क पहुँच प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है और साथ ही इसने निवारक तथा उपचारात्मक सेवाओं की एक शृंखला तक पहुँच प्राप्त करने के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज का विस्तार किया है।
- **ग्रामीण-शहरी विभाजन:** कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान 'ग्रामीण-शहरी विभाजन' और अधिक गंभीर रूप से सामने आया, जब ग्रामीण क्षेत्रों में परीक्षण, ऑक्सीजन और अस्पताल में बिस्तरों की भारी कमी देखी गई थी।
- **डॉक्टर-रोगी अनुपात:** वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल के तहत प्रत्येक 10,189 लोगों के लिये एक सरकारी एलोपैथिक डॉक्टर और प्रत्येक 90,343 लोगों के लिये एक सरकारी अस्पताल रिकॉर्ड किया गया था।
- **अस्पताल के बिस्तरों की कमी:** सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी अवसंरचना में निवेश की कमी के कारण बीते कुछ वर्षों में देश के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या वास्तव में कम हो गई है, उदाहरण के लिये वर्ष 2010 की मानव विकास रिपोर्ट में प्रति 10,000 व्यक्तियों पर 9 बिस्तर मौजूद थे, जबकि वर्तमान में प्रति 10,000 व्यक्तियों पर केवल 5 बिस्तर ही मौजूद हैं।
  - भारत ब्रिक्स देशों में प्रति हजार जनसंख्या पर अस्पताल के बिस्तरों की संख्या (0.5) के मामले में सबसे निचले स्थान पर है। भारत में यह संख्या बांग्लादेश (0.87), चिली (2.11) और मैक्सिको (0.98) जैसे अल्प-विकसित देशों से भी कम है।
- **महिला साक्षरता:** यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न सामाजिक समूहों में महिला साक्षरता में सुधार हुआ है, किंतु इस मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाएँ सामान्य वर्ग से क्रमशः 18.6% और 27.9% पीछे हैं।
  - वर्ष 2015-16 में शीर्ष 20 प्रतिशत आबादी और निम्न 20 प्रतिशत आबादी के बीच 55.1% का अंतर मौजूद था।
  - हालाँकि मुस्लिमों महिलाओं के बीच साक्षरता दर (64.3%) सभी धार्मिक समूहों की तुलना में सबसे कम है, किंतु समय के साथ असमानता में कमी देखी गई है।
- **स्वच्छता:** जहाँ तक स्वच्छता का प्रश्न है तो सामान्य श्रेणी में 65.7% घरों में बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच उपलब्ध है, जबकि अनुसूचित जाति के परिवार इस मामले में 28.5% और अनुसूचित जनजाति के परिवार 39.8% पीछे हैं।

8 सरकारी योजनाएँ (Government Schemes)

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 को प्रारंभ किया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021–22 के बजट में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों की संख्या 8 करोड़ से बढ़ाकर 9 करोड़ करने की घोषणा की गई है।

उद्देश्य

गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले (बीपीएल) परिवारों की महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' की शुरुआत की गई। यह योजना एक धुआँ रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है।

क्रियान्वयन एजेंसी

इसका क्रियान्वयन 'पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय' कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2019 तक 5 करोड़ परिवारों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं, को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना था। किंतु 2018–19 के बजट में एलपीजी कनेक्शन 5 करोड़ परिवार से बढ़ाकर 8 करोड़ परिवार कर दिया गया था।
- उज्ज्वला 2.0 के तहत उन निम्न आय वाले परिवारों को जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाना है, जिन्हें पहले चरण में शामिल नहीं किया गया था।
- उज्जवला 2.0 के तहत जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ पहला रीफिल और हॉटप्लेट नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा।
- उज्जवला 2.0 में प्रवासियों को राशन कार्ड या निवास प्रमाण-पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन के लिये ₹1600 की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- इस योजना के तहत कनेक्शनों को परिवार की महिला मुखिया के नाम पर जारी किया जाता है।
- इस योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत भारत सरकार बीपीएल परिवारों को स्टोव खरीदने और पहली बार सिलेंडर भरवाने पर आने वाले खर्च को अदा करने के लिये किस्तों की सुविधा भी प्रदान कर रही थी।
- पात्र बीपीएल परिवारों की पहचान राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श द्वारा की जाती है।
- आवेदक 18 वर्ष की आयु से ऊपर की महिला होनी चाहिये।
- आवेदक एक बीपीएल कार्डधारक ग्रामीण निवासी होनी चाहिये।
- महिला आवेदक का सब्सिडी राशि प्राप्त करने के लिये देश भर में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता होना चाहिये।
- आवेदक परिवार के घर पहले से एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिये।
- आवेदक द्वारा दी गई पूरी जानकारी को सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 (SECC-2011) डेटा से मिलाया जाएगा तथा उसके पश्चात् ही यह निर्णय लिया जाएगा कि आवेदक योजना का पात्र है या नहीं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

चर्चा में क्यों?

9 अगस्त, 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त के रूप में 9.75 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लगभग ₹19,500 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई।

उद्देश्य

इसका उद्देश्य छोटे एवं सीमांत किसानों को निवेश और अन्य ज़रूरतों के लिये सुनिश्चित आय सहायता प्रदान करना है। इससे उन्हें फसल चक्र पूर्ण होने से पूर्व कुछ सहायता प्राप्त हो सके।

क्रियान्वयन एजेंसी

इसका क्रियान्वयन भारत सरकार का 'कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय' कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के लाभार्थी की पहचान राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी।
- इस योजना का लाभ संस्थागत भूमि धारकों को प्राप्त नहीं होगा।
- सभी आयकर दाता तथा ₹10 हज़ार से ज़्यादा मासिक वेतन प्राप्त करने वाले इस योजना के दायरे से बाहर हैं।
- इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह आय सहायता ₹2,000 की तीन समान किस्तों में 4 महीनों के अंतराल पर लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के ज़रिये सीधे ही हस्तांतरित कर दी जाएगी।

9 कला एवं संस्कृति (Art & Culture)

अबनींद्रनाथ टैगोर

चर्चा में क्यों?

अबनींद्रनाथ टैगोर के जन्मदिवस के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विभिन्न ऑनलाइन कार्यशालाओं और वार्ताओं के माध्यम से बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के अग्रदूत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

अबनींद्रनाथ टैगोर के विषय में

- इनका जन्म 7 अगस्त, 1871 को ब्रिटिश भारत के कलकत्ता के जोरासांको (Jorasanko) में हुआ। वह रवींद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे।
- युवावस्था में, अबनींद्रनाथ ने यूरोपीय कलाकारों से यूरोपीय और अकादमिक शैली में प्रशिक्षण प्राप्त किया। हालाँकि, उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान, यूरोपीय प्रकृतिवाद के प्रति उनमें अरुचि विकसित हुई और उनका झुकाव ऐतिहासिक या साहित्यिक संकेतों के साथ चित्रों को चित्रित करने की ओर हुआ और इसके लिये उन्हें मुगल लघुचित्रों से प्रेरणा मिली। उनकी प्रेरणा का एक अन्य स्रोत जापानी दार्शनिक और एस्थेटिशियन ओकाकुरा काकुजो द्वारा वर्ष 1902 में की गई कोलकाता की यात्रा थी।
- स्वदेशी विषयों की उनकी अनूठी व्याख्या ने एक नई जागृति पैदा की और भारतीय कला के पुनरुद्धार की शुरुआत की। वह प्रतिष्ठित 'भारत माता' पेंटिंग के निर्माता थे।

बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट

- इसे पुनर्जागरण विद्यालय या पुनरुद्धारवादी स्कूल (Renaissance School or the Revivalist School) भी कहा जाता है, क्योंकि यह भारतीय कला के पहले आधुनिक आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता था।
- इसने भारतीय कला के महत्त्व को पुनः पहचानने और सचेत रूप से अतीत की रचनाओं से प्रेरित एक वास्तविक भारतीय कला के रूप में इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया।
- इसके अग्रणी कलाकार अबनींद्रनाथ टैगोर और प्रमुख सिद्धांतकार ई.बी. हैवेल (कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य) थे।
- विक्टोरिया मेमोरियल हॉल रबीन्द्र भारती सोसाइटी संग्रह का संरक्षक है, जो कलाकारों की महत्त्वपूर्ण कृतियों का सबसे बड़ा संग्रह है।

पिंगली वेंकैया

चर्चा में क्यों ?

2 अगस्त, 2021 को उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के डिज़ाइनर और महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रमुख बिंदु

- 2 अगस्त, 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले में जन्मे पिंगली वेंकैया ने प्रारंभिक शिक्षा भटाला पेनमरू और मछलीपट्टनम में प्राप्त की। 19 वर्ष की आयु में वे ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए और अफ्रीका में एंग्लो-बोअर युद्ध के दौरान ब्रिटिश सैनिक के रूप में कार्य भी किया। इसी युद्ध के दौरान दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए वे गांधी जी से मिले एवं उनसे काफी प्रभावित हुए।
- वर्ष 1918 तथा वर्ष 1921 के बीच पिंगली वेंकैया ने कांग्रेस के लगभग प्रत्येक अधिवेशन में एक ध्वज की मांग का आह्वान किया। राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए वर्ष 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बैठक में गांधी जी ने वेंकैया से नए सिरे से ध्वज की डिज़ाइन तैयार करने को कहा। प्रारंभ में वेंकैया ने ध्वज में केवल लाल और हरे रंग का ही प्रयोग किया था, जो क्रमशः हिंदू तथा मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। किंतु बाद में इसके केंद्र में एक चरखा और तीसरे रंग (सफेद) को भी शामिल किया गया। वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस ध्वज को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। 04 जुलाई, 1963 को पिंगली वेंकैया की मृत्यु हो गई।

भारत का 40वाँ विश्व धरोहर स्थलः धौलावीरा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली भारत में सिंधु घाटी सभ्यता (Indus Valley Civilisation-IVC) की पहली साइट है।

प्रमुख बिंदु

- इस सफल नामांकन के साथ भारत अब विश्व धरोहर स्थलों के सुपर-40 क्लब (Super-40 Club for World Heritage Site Inscriptions) में प्रवेश कर गया है।
- भारत के अलावा इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन और फ्राँस में 40 या अधिक विश्व धरोहर स्थल हैं।
- भारत में कुल मिलाकर 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित स्थल शामिल हैं। ध्यातव्य है कि काकतीय वंश के राजाओं द्वारा पालमपेट (तेलंगाना) में निर्मित रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है, को भारत के 39वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है।

10 खेल घटनाक्रम
(Sports Events)

यूरो कप 2020

- 11 जुलाई, 2021 को इटली ने इंग्लैंड को हराकर दूसरी बार यूरो कप जीता।
- इससे पहले इटली की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने वर्ष 1968 में यूगोस्लाविया को हराकर यूरोपीय चैंपियनशिप का खिताब जीता था। इसके अलावा इटली ने वर्ष 2000 और वर्ष 2012 में भी यूरोपियन चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालीफाई किया था, किंतु वह फाइनल मुकाबले में जीत हासिल नहीं कर पाई थी।
- वहीं इंग्लैंड बीते 55 वर्षों में अपना पहला फाइनल मुकाबला खेल रहा था।

टोक्यो ओलंपिक 2020

- 8 अगस्त, 2021 को जापान की राजधानी टोक्यो में 32वें ग्रीष्मकालीन ओलिंपिक खेलों का समापन किया गया। उल्लेखनीय है कि पहले खेलों का आयोजन 2020 में किया जाना था परंतु कोरोना महामारी के कारण इन्हें टालना पड़ा।
- टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए, 1 स्वर्ण, 2 रजत व 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते।
- 7 अगस्त, 2021 को नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत को ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में पहला व किसी व्यक्तिगत खेल में दूसरा स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास बनाया।
- इसी ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक प्राप्त करते हुए, हॉकी में 41 साल के बाद पदक जीता।

भारत के पदक विजेता

विजेता	खेल	पदक
नीरज चोपड़ा	जैवलिन थ्रो	स्वर्ण
रवि कुमार दहिया	कुश्ती	रजत
मीराबाई चानू	भारोत्तोलन	रजत
बजरंग पूनिया	कुश्ती	कांस्य
भारतीय पुरुष हॉकी टीम	फील्ड हॉकी	कांस्य
लवलीना बोरगोहेन	मुक्केबाजी	कांस्य
पी.वी. सिन्धु	बैडमिंटन	कांस्य

पदक तालिका

रैंक	देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1	यू.एस.ए	39	41	33	113
2	चीन	38	32	18	88
3	जापान	27	14	17	58
48	भारत	1	2	4	7

फ्रेंच ओपन–2021

- 24 मई–13 जून, 2021 तक खेले गए फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच ने स्टेफानोस सितसिपास को हराकर अपने करियर में दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया है।
- जोकोविच ओपन एरा में दो बार करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। (उन्होंने नौ बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, पांच बार विंबलडन और तीन बार यूएस ओपन जीता है।)

फ्रेंच ओपन–2021 के विजेता

- पुरुष एकल: नोवाक जोकोविच (सर्बिया)
- महिला एकल: बारबोरा क्रेजीकोवा (चेक गणराज्य)
- पुरुष युगल: पियरे–ह्यूग्स हर्बर्ट (फ्रांस) और निकोलस माहुत (फ्रांस)
- महिला युगल: बारबोरा क्रेजीकोवा (चेक गणराज्य) और केटरीना सिनियाकोवा (चेक गणराज्य)
- मिश्रित युगल – डेसिरै क्रॉक्जिक (संयुक्त राज्य अमेरिका) और जो सैलिसबरी (यूनाइटेड किंगडम)

भारत का निशानेबाजी विश्वकप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

- 18–29 मार्च, 2021 तक दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ (आईएसएसएफ) विश्वकप टूर्नामेंट के आखिरी दिन भारत ने दो स्वर्ण पदक जीतकर टूर्नामेंट की पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया।
- इस टूर्नामेंट में भारत ने 15 स्वर्ण, 9 रजत तथा 6 कांस्य पदक सहित कुल 30 पदक हासिल किये। यह भारत की आईएसएसएफ विश्व कप में अब तक की सबसे अधिक पदक संख्या है।
- टूर्नामेंट के आखिरी दिन भारत के केनान चेनाई, पृथ्वीराज टोंडाइमान और लक्ष्य श्योराण ने पुरुष टीम ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया।
- पदक तालिका में भारत के बाद दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका रहा, जिसने 4 स्वर्ण, 3 रजत तथा 1 कांस्य पदक के साथ कुल 8 पदक हासिल किये।

11 विविध (Miscellaneous)

चर्चित व्यक्ति

नियुक्ति

अनूप चंद्र पांडे

सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अनूप चंद्र पांडे ने जून, 2021 में देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया है। वे मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ तीन सदस्यीय निकाय में शामिल हो गए हैं। ज्ञात हो कि अनूप चंद्र पांडे, उत्तर प्रदेश कैडर के वर्ष 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और वह वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके अलावा अनूप पांडे रक्षा और श्रम एवं रोजगार मंत्रालयों में भी अपनी सेवाएँ दे चुके हैं। भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग में मूलत: केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिये 16 अक्तूबर, 1989 को इसे तीन सदस्यीय बना दिया गया। इसके बाद कुछ समय के लिये इसे एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया और 1 अक्तूबर, 1993 को इसका तीन सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं।

एन.वी. रमण

राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नथालपति वेंकट रमण को भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) नियुक्त किया। न्यायमूर्ति एन.वी. रमण ने 24 अप्रैल, 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला। वे देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। वे आंध्र प्रदेश के एक किसान परिवार से हैं, जिन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, केंद्रीय तथा आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत की है। इसके अलावा उन्होंने आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं।

सुबोध कुमार जायसवाल

हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने हाल ही में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के नए निदेशक के रूप में पदभार संभाला है। सुबोध कुमार जायसवाल 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी हैं। महाराष्ट्र पुलिस का नेतृत्त्व करने के अलावा सुबोध कुमार जायसवाल CISF के महानिदेशक के रूप में तथा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) तथा अनुसंधान और विश्लेषण विंग (R&AW) के साथ भी कार्य कर चुके हैं।

सुशील चंद्रा

सुशील चंद्रा ने 13 अप्रैल, 2021 को भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वे भारतीय राजस्व सेवा के 1980 बैच के अधिकारी हैं। श्री चंद्रा भारत निर्वाचन आयोग में 15 फरवरी, 2019 से निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे 6 मार्च, 2020 से परिसीमन आयोग के सदस्य भी हैं और जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र के परिसीमन का कार्य देख रहे हैं। आयकर विभाग में लगभग 39 वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्य करने के बाद श्री सुशील चंद्रा को 1 नवंबर, 2016 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इन्होंने निदेशक, अन्वेषण और महानिदेशक, अन्वेषण के रूप में क्रमश: मुंबई और गुजरात में काफी लंबी अवधि तक कार्य किया और तत्पश्चात् सदस्य (अन्वेषण), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा उसके बाद इस शीर्ष निकाय के अध्यक्ष का दायित्व संभाला। 15 मई, 1957 को जन्मे, श्री चंद्रा ने आईआईटी रूड़की (बीई, सिविल 1977) से बी. टेक. किया। इन्हें 25 नवंबर, 2019 को इनकी मातृ संस्था से विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार (Alumnus Award) से सम्मानित किया गया। इन्होंने डीएवी कॉलेज, देहरादून से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की और प्रबंधन पर आईएमएफ, आईआईएम बैंगलूरू तथा व्हार्टन से विभिन्न प्रशिक्षण भी प्राप्त किये हैं। भारतीय राजस्व सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व ये भारतीय इंजीनियरिंग सेवा में कार्यरत थे।

घर बैठे IAS/PCS की संपूर्ण तैयारी करने के लिये आपका स्वागत है

Drishti Learning App

पर

GET IT ON Google Play

अपने एंड्रॉयड फोन पर आज ही इंस्टॉल करें

ऐप की विशेषताएँ

- टीम दृष्टि द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएँ एक ही मंच पर।
- ऑनलाइन, पेनड्राइव मोड में कक्षाएँ उपलब्ध।
- प्रिलिम्स और मेन्स की टेस्ट सीरीज़ भी ऐप के माध्यम से उपलब्ध।
- सभी पुस्तकें, मैगजीन, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के नोट्स देखने व मंगवाने की सुविधा।

ऑनलाइन कोर्स की विशेषताएँ

- घर बैठे देश के सर्वोत्कृष्ट अध्यापकों से पढ़ने की सुविधा।
- अब दिल्ली या किसी बड़े शहर जाकर पढ़ने की मजबूरी नहीं।
- IAS और PCS के कोर्स उपलब्ध।
- ऑनलाइन कोर्स करने के बाद, क्लासरूम कोर्स में प्रवेश लेने पर शुल्क में विशेष छूट।
- हर क्लास अपनी सुविधा से 3 बार देखने की सुविधा।
- उत्तर लिखकर चेक कराने तथा संदेह-समाधान की व्यवस्था भी शीघ्र उपलब्ध।
- कई विषयों के कोर्स ऑनलाइन और पेनड्राइव मोड में भी उपलब्ध।

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली शाखा) का पता
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
8448485519, 87501 87501, 011-47532596

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज शाखा) का पता
ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
8448485518, 8750187501, 8929439702

दृष्टि आई.ए.एस. (राजस्थान शाखा) का पता
प्लॉट नंबर-45 व 45-A, हर्ष टावर-2, मेन टोंक रोड़, वसुंधरा कॉलोनी, जयपुर राजस्थान-302018
8448485518, 8750187501, 8929439702

दृष्टि पब्लिकेशन्स की प्रमुख पुस्तकें

641, 1st Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-110009
Ph.: 011-47532596, 87501 87501
Website: www.drishtiias.com
E-mail: booksteam@groupdrishti.com

मूल्य : ₹ 120